


संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा फर्रुखाबाद-फतेहगढ़-गुरसहायगंज रोड (एच०एच०-29ए) किमी० नं० 9 (चैनेज 8.053) बॉयी पटरी पर खसरा नं० 634मि० ग्राम मुलनपुर चिरपुरा, परगना भोजपुर तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में विकसित किये जा रहे पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.08.2018 को ऐरिया सेल्स मैनेजर, संजय पैलेस आगरा-282002 एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी फर्रुखाबाद रेंज सामाजिक वानिकी फर्रुखाबाद के द्वारा किया गया संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नवत है-

1. पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट हेतु प्रस्तावित स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु उपयोग में आने वाली मार्ग पटरी की भूमि संरक्षित वन घोषित है पहुंच एवं निकास मार्ग में प्रयोग की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 0.076964 हे० भूमि को वनेत्तर कार्य हेतु लिया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थापना स्थल के प्रवेश एवं निकास निर्माण में 05 वृक्ष विलंबिल के बाधक हैं जिनका सीने की ऊंचाई पर गोलाई क्रमशः 0.97 मी०, 1.23 मी०, 3.07 मी०, 1.37 मी०, 2.58 मी० है। उक्त प्रभावित पहुंच मार्ग निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली संरक्षित भूमि (मार्ग पटरी) के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
3. प्रस्तावक विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
4. प्रस्ताव स्थल की जी०पी०एस० रीडिंग N27°17'50", E079°37'26" है।
5. उक्त मार्ग की पटरी पर अन्य राजकीय वृक्ष खड़े हैं। उक्त मार्ग पर पेट्रोल पम्प निर्माण के समय/उपरान्त किसी भी प्रकार से वृक्षों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कम्पनी एवं ठेकेदार की होगी।


वीरज कुमार चहार 09-08-18
Dheem Chahar
ऐरिया सेल्स ऑफिसर
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०
HPCL


S. K. Srivastava
क्षेत्रीय वन अधिकारी
फर्रुखाबाद


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फर्रुखाबाद